(369)

(2-4) 202

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक प.3(55)नविवि/3/2002 जयपुर, दिनांक 13 OCT 2011

परिपत्र

राज्य सरकार द्वारा "कृषि प्रसंस्करण एवं कृषि व्यवसाय प्रोत्साहन नीति 2010" जून 2010 में जारी की गयी है। उक्त नीति के बिन्दु संख्या 19 में यह प्रावधान किया गया है कि "राज्य सरकार राज्य के विश्वविद्यालयों में खाद्य प्रसंस्करण, पैकेजिंग तथा कृषि विपणन विषय शुरू करने को प्रोत्साहित करेगी। निजी क्षेत्र में कृषि प्रसंस्करण एवं कृषि व्यवसाय में शैक्षणिक व प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा राज्य स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति की सिफारिश पर शहरी क्षेत्रों में 5 एकड भूमि तक संस्थागत आरक्षित दर पर तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 10 एकड़ भूमि डी.एल.सी. दर पर आवंटित की जायेगी। जिन मामलों में शैक्षणिक एवं प्रशिक्षण संस्थाओं हेतु सम्बन्धित विनियमों में न्यूनतम भूमि निर्धारित है उनको तद्नुसार भूमि आवंटित की जावेगी।"

नगरीय विकास आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग द्वारा नगरीय क्षेत्रों में सार्वजनिक,चैरिटेबल एवं सामाजिक संस्थाओं को विभिन्न उपयोगों हेतु रियायती दर पर भूमि आवंटन के साथ–साथ शैक्षणिक संस्थाओं को भी भूमि आवंटन करने हेतु नीति दिनांक 19.04.2011 को जारी की गयी है। इस नीति के बिन्दु संख्या 2.1 (iv) व (v) में उल्लेखित क्षेत्रफल तक की भूमि महाविद्यालय /विश्वविद्यालय प्रयोजन हेतु उपलब्धता के आधार पर नियमानुसार बिन्दु संख्या 3 में उल्लेखित दर पर आवंटन की कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है। विभाग की उक्त नीति के, बिन्दु संख्या 5.19 में यह स्पष्ट प्रावधान है कि राज्य सरकार द्वारा विभिन्न उपयोगों हेतु समय–समय पर जारी की गयी/की जाने वाली नीति के आवंटन संबंधी प्रावधान लागू होंगें।

अतः कृषि प्रसंस्करण एवं कृषि व्यवसाय प्रोत्साहन नीति 2010 के अन्तर्गत गठित राज्य स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति की सिफारिश पर निजी क्षेत्र में कृषि प्रसंस्करण एवं कृषि व्यवसाय में शैक्षणिक व प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने के लिए सम्बन्धित निकाय के क्षेत्राधिकार में भूमि की उपलब्धता के आधार पर संस्थानिक आरक्षित दर पर भूमि आवंटन की कार्यवाही की जावेगी।

राज्यपाल महोदय की आज्ञा से

13/10/2011

उप शासन सचिव–तृतीय

(147)

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. प्रमुख सचिव, महामहिम राज्यपाल राजस्थान, जयपुर।
2. प्रमुख सचिव, सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान।
3. विशिष्ट सहायक माननीय मंत्री नगरीय विकास विभाग।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त।
6. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कृषि
7. आयुक्त जयपुर/जोधपुर विकास प्राधिकरण।
8. जिला कलक्टर समस्त।
9. निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
10. सचिव, नगर सुधार न्यास (समस्त)
11. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
12. निजी/रक्षित पत्रावली।

13/10/2011

उप शासन सचिव–तृतीय

(148)